

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

॥ कार्यालय-आदेश ॥

TSP

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानानुसार गठित विभागीय चयन समिति द्वारा पृष्ठांकित सूची अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को उनके नाम के सामने अंकित वर्ष की रिक्तियों के विरुद्ध **वरिष्ठ अध्यापक-उर्दू** (द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक) (PAY MATRIX LEVEL-11) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने से इन्हें वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति की जाकर पदस्थापन स्थान उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है।

इन्हें दिनांक **04-06-2018** तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। इनका पदोन्नति पर वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 'ए' के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना में नियमानुसार निर्धारित किया जावे। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/ संस्थाप्रधान इन्हें पदोन्नति पर कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (1)कार्मिक/ क-2/95 दिनांक 20-06-01 एवं 08-04-03 के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01-06-02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने पर कार्मिक पदोन्नति के पात्र नहीं है साथ ही संस्थाप्रधान इस बात का कार्मिक से प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस आधार पर प्रमाणिकरण कर कार्यमुक्ति की सूचना में अंकित करेंगे अन्यथा संबंधित संस्थाप्रधान राज्य सरकार की अधिसूचना के उल्लंघन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। साथ ही यदि किसी कार्मिक के वर्तमान में निलम्बन अथवा सीसीए 16, 17 के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करें एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अविलम्ब निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति हेतु दिनांक 02.06.2018 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें। पदोन्नति सूची में ऐसे कोई शिक्षक जो पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक या उच्च पद पर कार्यरत हो अथवा विभाग में कार्यरत नहीं हो तो उनकी सूचना भी मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भिजावे। वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन की स्थिति में उक्त आदेश संबंधित संस्था प्रधान को वाहक स्तर पर भिजवाया जावे। पदोन्नति परित्याग की स्थिति में चयनित वेतनमान के संबंध में राज्य सरकार के प्रचलित आदेशानुरूप कार्यवाही की जावेगी।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिकों की पदोन्नति पर कार्यमुक्ति/ कार्यग्रहण एवं परित्याग की समेकित सूचना कार्यग्रहण दिनांक के एक सप्ताह के अंदर मण्डल कार्यालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करावेगे। संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/रामावि इन पदोन्नत अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख विषय के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें। "पदोन्नत शिक्षकों के पदोन्नति/पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में प्रदत्त अन्तरिम आदेश व अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।"

संबंधित संस्थाप्रधान पदोन्नत कार्मिकों के विषय का प्रमाणीकरण करते हुए शाला दर्पण अनुसार कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करावें। यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति टीएसपी से नॉन टीएसपी क्षेत्र में हो गई है तो संबंधित संस्थाप्रधान कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।


(भरत मेहता)

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक 25.5.2018

क्रमांक:-शिउनि-मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081-85/2016-17/ 183
प्रतिलिपी-सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा,.....
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स.....
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/रामावि.....
7. संबंधित कार्मिक/व्यक्तिगत पंजिका
8. वरिष्ठता/संस्था-स अनुभाग, कार्यालय हाजा
9. गार्ड पत्रावली


शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल उदयपुर (राज0)

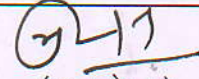
क्रमांक :- शिउनि/मा/उदय/संस्था-ब/फा-1081-85/183

दिनांक 25.5.2018

विषय:- उर्दू

TSP

क. सं.	वरि.क्रमांक	नाम अध्यापक मय पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती	संवर्ग	जन्म तिथि	चयन वर्ष	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान राउमावि/रामावि	जिला
1	4824-A1/1971-2011	फारुक मोहम्मद शेख/खान मोहम्मद रा.शि.क.पा.वि. धामदर सराडा, उदयपुर	GEN	05-05-1973	2018-19	जावरमाईन्स (गिर्वा)	उदयपुर


(भरत मेहता)

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)

उदयपुर मण्डल उदयपुर